अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

कोल्हान दीवानी वाद संख्या– 14/2006–07

सोग राम गोप।

वनाम

भगवान तुबिड एवं अन्य।

आदेश

यह वाद वादीगण द्वारा वाद संपति जो वाद पत्र के शेडयूल में वर्णित है पर अपने हक स्वामित्व एवं दखल की घोषणा हेतु दायर किया गया है। प्रतिवादी संख्या 1. भगवान तुबिड के विरुद्ध एकपक्षिय सुनवाई का आदेश दिनांक 11.12.2007 को पारित है तथा प्रोफार्मा प्रतिवादी संख्या 2. गोडा गोप द्वारा लिखित बयान दाखिल कर वादी का समर्थन किया गया है। प्रोफार्मा प्रतिवादी उपायुक्त, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के तरफ से कोई उपस्थिति अथवा लिखित बयान दाखिल नहीं किया गया है।

एकपक्षिय सुनवाई के दौरान वादी द्वारा वाद के समर्थन में गवाही दी गई है तथा वाद संपति पर अपना हक, स्वामित्व एवं दखल का दावा जताया। प्रतिवादीगण के वारिसों द्वारा दिनांक 23.12.2021 को वकालतनामा के साथ उपस्थित होकर यह सूचना दी गई कि प्रतिवादी भगवान ~~को~~ हो तुबिड की मृत्यु दिनांक 16.08.2016 को हो गई है। इस आधार पर प्रतिवादी के वारिसों को इस मुकदमे में पक्षकार बनाया गया परंतु उक्त तिथि के पश्चात् वे इस वाद में उपस्थित नहीं हुए।

अतः इस वाद में प्रतिवादीगण द्वारा लिखित बयान नहीं दाखिल करने तथा अभिलेख में मौजुद वादी के साक्ष्य एवं दस्तावेजों के आधार पर वाद संपति जो वाद पत्र के शेडयूल में वर्णित है, पर वादी का एक स्वामित्व, अधिकार एवं उनका दखल घोषित किया जाता है तथा प्रतिवादीगण का इसपर कोई अधिकार नहीं बनता।

अतः यह वाद वादी के पक्ष में डिक्री दी जाती है। तदनुसार डिक्री तैयार कर प्रस्तुत करें।

लेखापित एवं संशोधित।

23.02.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

23.02.22

अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा

Digitally signed by Santosh Kumar Sinha
Date: 2022.11.12 12:27:08 +05:30
Location: 10.93.66.35